रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD NO. D. L -33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 29] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 24, 2000/फाल्गुन 5, 1921
No. 29] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 24, 2000/PHALGUNA 5, 1921

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 2000

सं. 35018/03/99-प्रा.आ.प्र. (सी.आर.).—एक विरल गंभीरता का चक्रवात, जिसे महाचक्रवात के नाम से जाना जाता है, 29 अक्टूबर, 1999 को उड़ीसा में आया। इसके पहले भी 17-18 अक्टूबर, 1999 को एक गंभीर चक्रवात उड़ीसा में आया। महाचक्रवात ने अवसंरचना और सार्वजनिक सेवाओं को व्यापक स्तर पर नुकसान पहुंचाया। इस जन धन हानि का परिमाण अप्रत्याशित था। अत: भारत सरकार ने इस आपदा को विरल गंभीरता का तथा राष्ट्रीय स्तर पर निपटने वाली आपदा के रूप में माना। भारत सरकार का विचार है कि उड़ीसा के प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास और पुन:संरचना एक विशाल कार्य है तथा स्थिति को पुन: सामान्य बनाने के लिए स्थायी प्रयास की आवश्यकता है।

2. अत: भारत सरकार ने मंत्रालय स्तर पर एक प्राधिकरण स्थापित करने का निर्णय लिया है ताकि पुन: संरचना और पुनर्वास मामलों पर उच्चतम स्तर पर विचार किया जा सके। इस प्राधिकरण को उड़ीसा चक्रवात पुन: संरचना प्राधिकरण के नाम से जाना जाएगा।

3. प्राधिकरण का गठन निम्नवत् होगा :—

(i)	रक्षा मंत्री, भारत सरकार	अध्यक्ष
(ii)	वित्त मंत्री, भारत सरकार	सदस्य
(iii)	कृषि मंत्री, भारत सरकार	सदस्य
(iv)	उपाध्यक्ष, योजना आयोग	सदस्य
(v)	शहरी विकास मंत्री, भारत सरकार	सदस्य
(vi)	ग्रामीण विकास मंत्री	सदस्य
(vii)	मुख्य मंत्री, उड़ीसा	सदस्य

4. प्राधिकरण के कार्यों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित के संबंध में मार्गदर्शन जारी करना शामिल होगा :—

(i) वित्त पोषण आंतरिक और बाह्य स्रोतों का पता लगाना और उनका पूर्ण उपयोग

(ii) चिन्ताजनक क्षेत्रों की पहचान और परस्पर प्राथमिकता

(iii) समन्वित ढंग से परियोजना प्रस्तावों पर विचार

(iv) केन्द्रीय और राज्य मंत्रालयों/विभागों और अन्य संगठनों की विभिन्न पुनर्वास और पुन:संरचना की स्कीमों की अभिरूपता/सामंजस्य सुनिश्चित करना

(v) पुनर्वास और पुन:संरचना के विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी विशेषज्ञता का पता लगाना

(vi) राज्य सरकारों, अन्य राज्यों, केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों और अंतरराष्ट्रीय अभिकरणों/स्त्रोतों के साथ पुनर्वास और पुन:संरचना कार्य के लिए संपर्क करना/समन्वय करना; और

(vii) सामान्य पर्यवेक्षण मानिटर और प्रगति की समीक्षा

5. प्राधिकरण के पास यथा आवश्यक विशेषज्ञ रखने का अधिकार होगा।

6. उपर्युक्त प्राधिकरण राज्य सरकार अथवा संबंधित मंत्रालयों/विभागों को कार्यों को अपने अधिकार में नहीं लेगा। उसे कार्य व्यापार नियमावली और संघ के राज्य के रूप में उड़ीसा सरकार के कार्य के अधीन यथा निर्धारित सामान्य प्रक्रिया का अनुसरण करना होगा। किन्तु प्राधिकरण समन्वित और स्थायी ढंग से उड़ीसा के चक्रवात प्रभावित जिलों में सुधार पुनर्वास और पुन: संरचना हेतु संयुक्त प्रयास के लिए परामर्श और मार्गदर्शन हेतु केन्द्र तथा राज्य सरकार को उच्चतम मंच प्रदान करेगा।

7. प्राधिकरण को कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा सहायता दी जाएगी।

8. यह प्राधिकरण कार्य समाप्त होने तक अपना काम करता रहेगा।

अनिल सिन्हा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

RESOLUTION

New Delhi, the 24th February, 2000

No. 35018/03/99-NDM(CR).—A Cyclone of rare severity termed as Super Cyclone hit Orissa on 29th October, 1999. Earlier also a very severe cyclone hit Orissa on 17-18th October, 1999. The Super Cyclone also caused wide spread damages to the infrastructure and public utility services. The magnitude of damage to property and loss of life was unprecedented. The Government of India, therefore, deemed it a calamity of rare severity and treated it as a calamity to be handled at National level. Government of India are of the view that rehabilitation and reconstruction in the cyclone affected areas of Orissa as a mammoth task and needs concerted efforts to restore the normalcy.

2. The Government have, therefore, decided to set up an Authority at the Ministerial level so as to give consideration at the highest level to the reconstruction and rehabilitation matters. The Authority will be known as the Orissa Cyclone Reconstruction Authority (OCRA).

3. The composition of the Authority will be as under :—

(i)	Defence Minister, Government of India	Chairman
(ii)	Finance Minister, Government of India	Member
(iii)	Minister for Agriculture, Government of India	Member
(iv)	Deputy Chairman, Planning Commission	Member
(v)	Minister for Urban Development	Member
(vi)	Minister for Rural Development	Member
(vii)	Chief Minister of Orissa	Member

4. The functions of the Authority shall, inter-alia, include issue of guidelines in regard to :—

(i) exploration and identification of the sources of funding, both internal and external;

(ii) identification of areas of concern and their inter se prioritization;

(iii) consideration of project proposals in a coordinated manner;

(iv) ensuring convergence/dovetailing of different rehabilitation and reconstruction schemes of Central and State Ministries/Departments and other organisations;

(v) location of technical expertise in different sectors of rehabilitation and reconstruction;

(vi) liaison and coordination of the restoration, rehabilitation and reconstruction work with the State Government, other States, Central Ministries/Departments and international agencies/sources, and

(vii) general supervision, monitoring and review of the progress.

5. The Authority will have the powers to associate experts, specialists as and when the need arise.

6. The aforesaid Authority will not take over the functions either of the State Government or of the concerned Ministries/Departments which have to follow the normal procedure as laid down under the Transaction of Business Rules and the allocation of work and the function of the Orissa Government as a State of the Union. The Authority will, however, provide the highest forum both at the Centre and the State for consultation, and guidance for a joint effort for restoration, rehabilitation and reconstruction work in the cyclone affected districts of Orissa in a coordinated and concerted manner.

7. The Authority will be serviced by the Department of Agriculture & Cooperation, Ministry of Agriculture, Government of India, New Delhi.

8. The Authority shall continue till its task is completed.

ANIL SINHA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.